

Paper laid on the Table of the House by Ministers/Members

संस्कृति मंत्री; तथा पर्यटन मंत्री (श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :-

- (1) (एक) नव नालंदा महाविहार, नालंदा के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।
- (दो) नव नालंदा महाविहार, नालंदा के वर्ष 2023-2024 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
- (2) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 2796/18/25]

- (3) (एक) दक्षिण क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र, तंजावुर के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।
- (दो) दक्षिण क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, तंजावुर के वर्ष 2023-2024 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
- (4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 2797/18/25]

- (5) (एक) केंद्रीय उच्च तिब्बती अध्ययन संस्थान, सारनाथ, वाराणसी के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।
- (दो) केन्द्रीय उच्च तिब्बती अध्ययन संस्थान, सारनाथ, वाराणसी के वर्ष 2023-2024 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
- (6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 2798/18/25]

(7) प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 की धारा 20ड० की उप-धारा (6) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) : -

(एक) संरक्षित संस्मारक - ?रुद्रेश्वर मंदिर, स्थान-बामुनारा, जिला-बर्धमान, पश्चिम बंगाल? के राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण विरासत उपनियम, 2025.

[Placed in Library, See No. LT 2799/18/25]

(दो) संरक्षित संस्मारक - "विष्णु को दर्शाती चट्टान को काटकर बनाई गई मूर्ति (सूर्य, गणेश, देवी आदि की आसन्न आकृतियों के साथ) स्थानीय रूप से विष्णु जनार्दन के नाम ज्ञात, स्थान-गुवाहाटी, जिला-कामरूप (अब कामरूप मेट्रो में), असम" के राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण विरासत उपनियम, 2025.

[Placed in Library, See No. LT 2800/18/25]

(तीन) संरक्षित संस्मारक - " बुरहानपुर , मध्य प्रदेश के किले में स्थित महल" के लिए राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण विरासत उपनियम, 2025.

[Placed in Library, See No. LT 2801/18/25]

(चार) संरक्षित संस्मारक - "महादेव मंदिर, निरीक्षण बंगले के पास इसके कंपाउंड सहित, असीरगढ़, जिला- बुरहानपुर, मध्य प्रदेश" के राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण विरासत उपनियम, 2025.

[Placed in Library, See No. LT 2802/18/25]

(पाँच) संरक्षित संस्मारक - "दुआर्गरिला रॉक शिलालेख, गुवाहाटी, जिला-कामरूप मेट्रो, असम" के राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण विरासत उपनियम, 2025.

[Placed in Library, See No. LT 2803/18/25]

(छह) संरक्षित संस्मारक - "राजा सुचेत सिंह का प्राचीन किला और राजा सुचेत सिंह की रानी की समाधि, रामनगर , जिला-उधमपुर, जम्मू और कश्मीर" के राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण विरासत उपनियम, 2025.

[Placed in Library, See No. LT 2804/18/25]

- (सात) संरक्षित संस्मारक - "एक बड़े शिलाखंड पर पहाड़ी की चोटी पर मदन महल, जिला-जबलपुर, मध्य प्रदेश" के राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण विरासत उपनियम, 2025.

[Placed in Library, See No. LT 2805/18/25]

- (आठ) संरक्षित संस्मारक- ? उरबासी द्वीप पर नक्काशी, शिलालेख और स्तंभ, स्थान-गुवाहाटी, जिला - कामरूप (अब कामरूप मेट्रो में), असम? के राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण विरासत उपनियम, 2025.

[Placed in Library, See No. LT 2806/18/25]

- (नौ) संरक्षित संस्मारक - "शाह शुजा का मकबरा, बुरहानपुर, जिला - बुरहानपुर, मध्य प्रदेश" के राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण विरासत उपनियम, 2025.

[Placed in Library, See No. LT 2807/18/25]

- (दस) संरक्षित संस्मारक - " बीजामंडल मस्जिद, भिलसा , जिला-विदिशा, मध्य प्रदेश" के राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण विरासत उपनियम, 2025.

[Placed in Library, See No. LT 2808/18/25]

- (ग्यारह) संरक्षित संस्मारक- ?गुफाएं 1 से 20 और गुप्त मंदिर के अवशेष, उदयगिरि , जिला-विदिशा, मध्य प्रदेश? के राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण विरासत उपनियम, 2025.

[Placed in Library, See No. LT 2809/18/25]

- (बारह) संरक्षित संस्मारक - "सूर्य को समर्पित एक बड़ा मंदिर, कटारमल , जिला - अल्मोड़ा, उत्तराखंड" के राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण विरासत उपनियम, 2025.

[Placed in Library, See No. LT 2810/18/25]

(तेरह) संरक्षित संस्मारक - "कालसी स्थित अशोक रॉक एडिक्ट, जिला-
देहरादून, उत्तराखंड" के राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण विरासत
उपनियम, 2025.

[Placed in Library, See No. LT 2811/18/25]

(चौदह) संरक्षित संस्मारक - "गुजरी महल, जिला ? हिस्सार (अब हिसार के
रूप में ज्ञात), हरियाणा" के राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण विरासत
उपनियम, 2025.

[Placed in Library, See No. LT 2812/18/25]

(पंद्रह) संरक्षित संस्मारक - "मणिपुर राज्य, जिला बिष्णुपुर, मणिपुर में
बिशनपुर में विष्णु का मंदिर" के राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण विरासत
उपनियम, 2025.

[Placed in Library, See No. LT 2813/18/25]

(सोलह) संरक्षित स्थल - ?कीरत सागर की महान झील, लगभग 1०5 मील की
परिधि में 1063 ईस्वी से 1079 ईस्वी तक निर्मित, मलकपुरा,
तहसील और जिला - महोबा, उत्तर प्रदेश? के राष्ट्रीय संस्मारक
प्राधिकरण विरासत उपनियम, 2025.

[Placed in Library, See No. LT 2814/18/25]

(सत्रह) संरक्षित स्थल - "पुरातात्विक स्थल और अवशेष, अश्वमेध यज्ञ
संख्या 1, 2 और 3, जगतग्राम गांव, देहरादून" के लिए राष्ट्रीय
संस्मारक प्राधिकरण विरासत उपनियम 2025.

[Placed in Library, See No. LT 2815/18/25]

(अठारह) पुरातात्विक स्थल और अवशेष, द्रोणसागर, (गोविषाण टीला), काशीपुर, उधम सिंह नगर, उत्तराखंड के लिए राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण विरासत उपनियम, 2025.

[Placed in Library, See No. LT 2816/18/25]

(उन्नीस) संरक्षित स्थल - "मदन सागर झील, लगभग 3 मील का सर्किट, 1129-65 ईस्वी में मदन सागर, तहसील और जिला- महोबा, उत्तर प्रदेश में निर्मित" के लिए राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण विरासत उपनियम, 2025.

[Placed in Library, See No. LT 2817/18/25]

(बीस) संरक्षित संस्मारक - "रानी लक्ष्मी बाई महल, सर्वेक्षण प्लॉट संख्या 3952 के भाग में शामिल क्षेत्र सहित, तहसील और जिला-झांसी, उत्तर प्रदेश" के लिए राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण विरासत उपनियम, 2025.

[Placed in Library, See No. LT 2818/18/25]

(इक्कीस) संरक्षित संस्मारक- " बालेश्वर मंदिरों का समूह और पत्थर की दीवारों तथा नौला या ढके हुए झरने से घिरी भूमि, बालेश्वर मंदिर, चंपावत, जिला अल्मोड़ा, उत्तराखंड" के लिए राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण विरासत उपनियम, 2025.

[Placed in Library, See No. LT 2819/18/25]

(बाईस) संरक्षित संस्मारक- " रुड़की (रुड़की) में पुराना कब्रिस्तान, जिला- हरिद्वार, उत्तराखंड" के लिए राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण विरासत उपनियम, 2025.

[Placed in Library, See No. LT 2820/18/25]

(तेईस) संरक्षित संस्मारक - "राजा गंगा धर राव की छतरी, तालाब सहित और सर्वेक्षण प्लॉट संख्या 1301 के भाग में शामिल आसन्न क्षेत्र, तहसील

और जिला - झांसी, उत्तर प्रदेश" के राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण विरासत उपनियम, 2025.

[Placed in Library, See No. LT 2821/18/25]

(चौबीस) संरक्षित पुरातात्विक स्थल और अवशेष - "सर्वेक्षण प्लॉट संख्या 103, 104, 116, 247 और सर्वेक्षण प्लॉट संख्या 248 के भाग में शामिल प्राचीन स्थल और अवशेष, बुर्जहोम, तहसील और जिला - श्रीनगर, जम्मू और कश्मीर" के राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण विरासत उपनियम, 2025.

[Placed in Library, See No. LT 2822/18/25]

(पच्चीस) संरक्षित संस्मारक - ?राजा सुचेत सिंह का प्राचीन महल, रामनगर, जिला-उधमपुर, जम्मू और कश्मीर? के लिए राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण विरासत उपनियम, 2025.

[Placed in Library, See No. LT 2823/18/25]

(छब्बीस) संरक्षित संस्मारक - "ग्वालियर किले में प्राचीन और ऐतिहासिक संस्मारक - (एक) बादल महल या हिंडोला गेट (दो) चतुर्भुज मंदिर (तीन) गणेश गेट (चार) ग्वालियर या आलमगिरी गेट (पाँच) लक्ष्मण गेट (छह) मानसिंह का महल (सात) रॉक-कट जैन कॉलोसी (आठ) सास बहू मंदिर (नौ) तेली का मंदिर (दस) उरवाही गेट, ग्वालियर, मध्य प्रदेश" के राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण विरासत उपनियम, 2025.

[Placed in Library, See No. LT 2824/18/25]

? (व्यवधान)

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SKILL DEVELOPMENT AND ENTREPRENEURSHIP; AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EDUCATION (SHRI JAYANT CHAUDHARY): I rise to lay on the Table:-

- (1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Samagra Shiksha Uttarakhand, Dehradun, for the

year 2023-2024.

- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Samagra Shiksha Uttarakhand, Dehradun, for the year 2023-2024.

- (2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

[Placed in Library, See No. LT 2825/18/25]

- (3) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Samagra Shikshana Karnataka, Bengaluru, for the year 2023-2024.
- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Samagra Shikshana Karnataka, Bengaluru, for the year 2023-2024.

- (4) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (3) above.

[Placed in Library, See No. LT 2826/18/25]

- (5) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Samagra Shiksha (Jharkhand Education Project Council), Ranchi, for the year 2022-2023.
- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of Samagra Shiksha (Jharkhand Education Project Council), Ranchi, for the year 2022-2023.

- (6) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (5) above.

[Placed in Library, See No. LT 2827/18/25]

- (7) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the STARS, Rajasthan, Jaipur, for the year 2023-2024.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the STARS, Rajasthan, Jaipur, for the year 2023-2024.

(8) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (7) above.

[Placed in Library, See No. LT 2828/18/25]

(9) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the STARS, Samagra Shiksha, Kerala, Thiruvananthapuram, for the year 2022-2023, alongwith audited accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the STARS, Samagra Shiksha, Kerala, Thiruvananthapuram, for the year 2022-2023.

(10) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (9) above.

[Placed in Library, See No. LT 2829/18/25]

(11) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the STARS, (Maharashtra Prathamik Shikshan Parishad), Mumbai, for the year 2023-2024.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the STARS, (Maharashtra Prathamik Shikshan Parishad), Mumbai, for the year 2023-2024.

(12) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (11) above.

[Placed in Library, See No. LT 2830/18/25]

- (13) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Goa Samagra Shiksha, Goa, for the year 2023-2024.
- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Goa Samagra Shiksha, Goa, for the year 2023-2024.
- (14) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (13) above.

[Placed in Library, See No. LT 2831/18/25]

? (व्यवधान)

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

- (1) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिंदी और अंग्रेजी संस्करण) :-
- (एक) सा.का.नि.211(अ) जो दिनांक 28 मार्च, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अधिसूचना संख्या 22/2022-सीमा शुल्क दिनांक 30.04.2022 में कतिपय संशोधन करना है ताकि भारत-यूएई व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते के अनुसार यूएई से आयात किए जाने वाले निर्दिष्ट सामानों के संबंध में टैरिफ रियायतों को बढ़ाया जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।
- (दो) यात्री नाम अभिलेख सूचना विनियम, 2022 जो दिनांक 8 अगस्त, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 621(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।
- (तीन) यात्री नाम अभिलेख सूचना (प्रथम संशोधन) विनियम, 2024, जो दिनांक 22 अक्तूबर, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 656(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

- (चार) सीमा शुल्क (व्यापार समझौतों के तहत मूल के नियमों का प्रशासन) संशोधन नियम, 2025 जो दिनांक 18 मार्च, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 178 (अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (पांच) सा.का.नि. 236(अ) जो दिनांक 17 अप्रैल, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय दिनांक 20 अक्तूबर, 2023 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 792(अ) में कतिपय संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (छह) सा.का.नि.183(अ) जो दिनांक 20 मार्च, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय दिनांक 09 मार्च, 2012 की अधिसूचना संख्या 09/2012-सीमाशुल्क के अंतर्गत पुनःआयातित हीरों के लिए ऊंचाई में + 0.01 मिमी से अनधिक का अंतर प्रदान करना है तथा व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (सात) सा.का.नि.210(अ) जो दिनांक 28 मार्च, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अधिसूचना संख्या 25/2021-सीमा शुल्क दिनांक 31.03.2021 में कतिपय संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (आठ) सा.का.नि.218(अ) जो दिनांक 4 अप्रैल, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय दिनांक 30 जून, 2017 की अधिसूचना संख्या 50/2017-सीमा शुल्क की क्रम सं० 515ग में प्रविष्टि को संशोधित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (नौ) सा.का.नि.268(अ) जो दिनांक 28 अप्रैल, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय दिनांक 30 जून, 2017 की अधिसूचना संख्या 50/2017-सीमा शुल्क की क्रम संख्या 359ए की सूची 34क और सूची 34ख में संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (दस) सा.का.नि.273(अ) जो दिनांक 30 अप्रैल, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय उसमें उल्लिखित विभिन्न सीमा शुल्क अधिसूचनाओं में संशोधन करना है, ताकि उक्त अधिसूचना के एचएस कोड को वित्त अधिनियम, 2025 के तहत किए गए परिवर्तनों

के साथ 01.05.2025 से संरेखित किया जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

- (ग्यारह) सा.का.नि.274(अ) जो दिनांक 30 अप्रैल, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय दिनांक 1 फरवरी, 2025 की अधिसूचना संख्या 04/2025-सीमा शुल्क को निरस्त करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन
- (बारह) सा.का.नि. 302 (अ) जो दिनांक 9 मई, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे जिसे कलाकृतियों, प्राचीन वस्तुओं के आयात पर मूल सीमा शुल्क से छूट देने के लिए जारी किया गया था तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (तेरह) सा.का.नि.337(अ) जो दिनांक 23 मार्च, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा दिनांक 31.10.2022 की अधिसूचना संख्या 55/2022-सीमा शुल्क में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (चौदह) सा.का.नि. 355 (अ) जो दिनांक 30 मई, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय (एक) पीली मटर (एचएस 0713 10 10) के आयात के लिए छूट की निर्दिष्ट शर्त को 31.03.2026 को या उससे पहले जारी किए गए वहन पत्र तक बढ़ाने; (दो) कच्चे सोयाबीन तेल (एचएस कोड 15071000), कच्चे सूरजमुखी तेल (एचएस कोड 15121110) और कच्चे पाम तेल (एचएस कोड 15111000) पर मूल सीमा शुल्क को 20% से घटाकर 10% करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (पंद्रह) सा.का.नि.435(अ) जो दिनांक 30 जून, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय दिनांक 23.12.2010 की अधिसूचना संख्या 130/2010-सीमाशुल्क में कतिपय संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

- (2) उपर्युक्त (1) की मद संख्या (दो) और (तीन) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 2832/18/25]

- (3) सरकारी बचत संवर्धन अधिनियम, 1873 की धारा 15 की उप-धारा (3) के अंतर्गत सरकारी बचत संवर्धन सामान्य (संशोधन) नियम, 2025 जो दिनांक 2 अप्रैल, 2025 भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 214(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 2833/18/25]

- (4) निक्षेपागार अधिनियम, 1996 की धारा 27 तथा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 31 के अंतर्गत भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (निक्षेपागार एवं प्रतिभागी) (दूसरा संशोधन) विनियमन, 2025 जो दिनांक 30 अप्रैल, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन / 2025/245 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 2834/18/25]

- (5) प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 31 की उप-धारा (3) तथा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 31 के अंतर्गत प्रतिभूति संविदा (विनियमन) (शेयर बाजार और समाशोधन निगम) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2025 जो दिनांक 20 मार्च, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना एफ.संख्या सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन / 2025/238 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 2835/18/25]

- (6) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 31 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-
- (एक) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (मध्यस्थ) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2025 जो दिनांक 20 मार्च, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना एफ. सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/ 2025/ 237 में प्रकाशित हुए थे।
- (दो) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (भेदिया व्यापार का प्रतिषेध) (संशोधन) विनियम, 2025 जो दिनांक 11 मार्च, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना फ.सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/ जीएन/2025/235 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (प्रतिभूति बाजारों में सहयोजित व्यक्तियों का प्रमाणन) (संशोधन) विनियम, 2025 जो दिनांक 14 जुलाई, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना फ.सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2025/251 में प्रकाशित हुए थे।

[Placed in Library, See No. LT 2836/18/25]

(7) प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 31 की उप-धारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

:-

(एक) प्रतिभूति संविदा (विनियमन) (शेयर बाजार और समाशोधन निगम) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2025 जो दिनांक 30 अप्रैल, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2025/246 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) प्रतिभूति संविदा (विनियमन) संशोधन नियम, 2025, जो दिनांक 19 मई, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 318(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[Placed in Library, See No. LT 2837/18/25]

(8) शेयर बाजार घोटाला और तत्संबंधित मामलों संबंधी संयुक्त संसदीय समिति, जुलाई, 2025 की सिफारिशों के अनुसरण में की-गई-कार्रवाई संबंधी 44वें प्रगति प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 2838/18/25]

(9) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 38 की उप-धारा (2) के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 220(अ) जो दिनांक 7 अप्रैल, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा दिनांक 06 जुलाई, 2019 की अधिसूचना संख्या-05/2019-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क में कतिपय संशोधन किए गए हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[Placed in Library, See No. LT 2839/18/25]

(10) सीमा शुल्क अधिनियम, 1975 की धारा 9क की उप-धारा (7) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

- (एक) सा.का.नि.176(अ) जो दिनांक 17 मार्च, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, तथा जिनका आशय डीजीटीआर द्वारा जारी प्रारंभिक निष्कर्षों के अनुसरण में चीन जनवादी गणराज्य में उद्भूत या वहां से निर्यातित "गैर-संधारित्र अनुप्रयोग के लिए 5.5 माइक्रोन से कम के एल्यूमीनियम फॉयल को छोड़कर, 80 माइक्रोन तक के एल्यूमीनियम फॉयल" के आयात पर अनंतिम प्रतिपाटन शुल्क लगाना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (दो) सा.का.नि.175(अ) जो दिनांक 17 मार्च, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, तथा जिनका आशय चीन जनवादी गणराज्य में उद्भूत या वहां से निर्यातित "स्टेनलेस स्टील के वैक्यूम इंसुलेटेड फ्लास्क और अन्य वैक्यूम वेसेल्स" पर पांच वर्ष की अवधि के लिए प्रतिपाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (तीन) सा.का.नि.179(अ) जो दिनांक 18 मार्च, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, तथा जिनका आशय डीजीटीआर द्वारा जारी अंतिम निष्कर्षों के अनुसरण में, चीन जनवादी गणराज्य में उद्भूत या वहां से निर्यातित "सॉफ्ट फेराइट कोर" के आयात पर 5 वर्ष की अवधि के लिए प्रतिपाटन शुल्क लगाना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (चार) सा.का.नि.185(अ) जो दिनांक 21 मार्च, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, तथा जिनका आशय डीजीटीआर की सिफारिशों पर चीन जनवादी गणराज्य, कोरिया जनवादी गणराज्य, मलेशिया, नॉर्वे, ताइवान और थाईलैंड से आयातित "पॉली विनाइल क्लोराइड पेस्ट रेजिन" के आयात पर 5 वर्ष की अवधि के लिए प्रतिपाटन शुल्क लगाना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[Placed in Library, See No. LT 2840/18/25]

- (पाँच) सा.का.नि.191(अ) जो दिनांक 24 मार्च, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, तथा जिनका आशय डीजीटीआर द्वारा जारी अंतिम निष्कर्षों के अनुसरण में, चीन जनवादी गणराज्य में उद्भूत या वहां से

निर्यातित "रोलर चैन" के आयात पर 5 वर्ष की अवधि के लिए एक निश्चित प्रतिपाटन शुल्क लगाना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) सा.का.नि.192(अ) जो दिनांक 25 मार्च, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, तथा जिनका आशय डीजीटीआर की सिफारिश पर चीन जनवादी गणराज्य से आयातित 'ऐक्रिलिक सॉलिड सरफेस' के आयात पर 5 वर्ष की अवधि के लिए प्रतिपाटन शुल्क लगाना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) सा.का.नि.276(अ) जो दिनांक 30 अप्रैल, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, तथा जिनके द्वारा उसमें उल्लिखित तीन अधिसूचनाओं में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) सा.का.नि.300(अ) जो दिनांक 8 मई, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, तथा जिनका आशय डीजीटीआर की सिफारिश पर चीन जनवादी गणराज्य में उद्भूत या वहां से आयातित 'ग्लूफोसाइनेट और उसके लवण' के आयात पर 5 वर्ष की अवधि के लिए प्रतिपाटन शुल्क लगाना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(नौ) सा.का.नि.301(अ) जो दिनांक 8 मई, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, तथा जिनका आशय डीजीटीआर की सिफारिश पर चीन जनवादी गणराज्य में उद्भूत या वहां से आयातित "सोडियम साइट्रेट" के आयात पर 5 वर्ष की अवधि के लिए प्रतिपाटन शुल्क लगाना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दस) सा.का.नि.299(अ) जो दिनांक 8 मई, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, तथा जिनका आशय चीन जनवादी गणराज्य और वियतनाम में उद्भूत या वहां से निर्यातित 'टेक्सचर्ड टेम्पर्ड ग्लास' के आयात पर अनंतिम प्रतिपाटन शुल्क लगाए जाने की तारीख अर्थात् 4 दिसंबर, 2024 से 5 वर्ष की अवधि के लिए प्रतिपाटन शुल्क लगाना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[Placed in Library, See No. LT 2841/18/25]

(ग्यारह) सा.का.नि.305(अ) जो दिनांक 10 मई, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, तथा जिनका आशय चीन जनवादी गणराज्य में उद्भूत

या वहां से निर्यातित 'टाइटेनियम डाइऑक्साइड' के आयात पर प्रतिपाटन शुल्क लगाना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बारह) सा.का.नि.372(अ) जो दिनांक 6 जून, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, तथा जिनका आशय डीजीटीआर द्वारा जारी अंतिम निष्कर्षों के अनुसरण में चीन जनवादी गणराज्य और जापान से आयातित "अघुलनशील सल्फर" पर 5 वर्षों के लिए प्रतिपाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तेरह) सा.का.नि.373(अ) जो दिनांक 6 जून, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, तथा जिनका आशय डीजीटीआर द्वारा जारी अंतिम निष्कर्षों के अनुसरण में चीन जनवादी गणराज्य, यूरोपीय संघ और स्विट्जरलैंड से आयातित "विटामिन-ए पामिटेट" पर 5 वर्षों के लिए प्रतिपाटन शुल्क लगाना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चौदह) सा.का.नि.398(अ) जो दिनांक 19 जून, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, तथा जिनका आशय डीजीटीआर द्वारा जारी अंतिम निष्कर्षों के अनुसरण में चीन जनवादी गणराज्य में उद्भूत या वहां से निर्यातित "80 माइक्रोन तक के एल्युमीनियम फॉयल" के आयात पर निश्चित प्रतिपाटन शुल्क लगाना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पंद्रह) सा.का.नि.399(अ) जो दिनांक 19 जून, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, तथा जिनका आशय डीजीटीआर की सिफारिशों पर चीन जनवादी गणराज्य, रूस और ताइवान में उद्भूत या वहां से आयातित "एसीटोनाइट्राइल" के आयात पर 5 वर्ष की अवधि के लिए प्रतिपाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सोलह) सा.का.नि.400(अ) जो दिनांक 19 जून, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, तथा जिनका आशय डीजीटीआर की सिफारिशों पर चीन जनवादी गणराज्य में उद्भूत या वहां से निर्यातित ?किसी भी रूप में प्रीटिलाक्लोर और इसके मध्यवर्ती-2, 6-डायथाइल-एन-(2-

प्रोपोक्सीएथाइल) एनिलिन (जिसे पीईडीए भी कहा जाता है)? के आयात पर 5 वर्ष की अवधि के लिए प्रतिपाटन शुल्क लगाना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[Placed in Library, See No. LT 2842/18/25]

- (सत्रह) सा.का.नि.404(अ) जो दिनांक 23 जून, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, तथा जिनका आशय डीजीटीआर की सिफारिशों पर ईरान और कतर में उद्भूत या वहां से आयातित "लीनियर अल्काइल बेंजीन (एलएबी)" के आयात पर 5 वर्ष की अवधि के लिए प्रतिपाटन शुल्क लगाना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (अठारह) सा.का.नि.407(अ) जो दिनांक 24 जून, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, तथा जिनके द्वारा दिनांक 27 दिसंबर, 2021 की अधिसूचना संख्या 77/2021-सीमाशुल्क (एडीडी) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (उन्नीस) सा.का.नि.406(अ) जो दिनांक 24 जून, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, तथा जिनका आशय डीजीटीआर की सिफारिशों पर चीन जनवादी गणराज्य और संयुक्त राज्य अमेरिका में उद्भूत या वहां से निर्यातित "पोटेशियम तृतीयक ब्यूटॉक्साइड" और चीन जनवादी गणराज्य में उद्भूत या वहां से निर्यातित "सोडियम तृतीयक ब्यूटॉक्साइड" के आयात पर 5 वर्ष की अवधि के लिए प्रतिपाटन शुल्क लगाना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (बीस) सा.का.नि.418(अ) जो दिनांक 26 जून, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, तथा जिनका आशय डीजीटीआर द्वारा जारी अंतिम निष्कर्षों के अनुसरण में, चीन जनवादी गणराज्य और ताइवान में उद्भूत या वहां से निर्यातित "प्लास्टिक प्रसंस्करण मशीनों" के आयात पर 5 वर्ष की अवधि के लिए प्रतिपाटन शुल्क लगाना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (इक्कीस) सा.का.नि.243(अ) जो दिनांक 21 अप्रैल, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, तथा जिनका आशय डीजीटीआर द्वारा जारी प्रारंभिक निष्कर्षों के अनुसरण में, ?गैर-मिश्रधातु और मिश्रधातु इस्पात के चपटे उत्पादों? के आयात पर 200 दिनों की अवधि के लिए 12%

की दर से अनंतिम सुरक्षा शुल्क लगाना है, इसके अलावा, सुरक्षा शुल्क चीन जनवादी गणराज्य और वियतनाम को छोड़कर विकासशील देशों से उद्धृत उक्त वस्तुओं के आयात पर लागू नहीं होगा, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बाईस) सा.का.नि. 275(अ) जो दिनांक 30 अप्रैल, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, तथा जिनके द्वारा दिनांक 11 सितंबर, 2024 की अधिसूचना संख्या 05/2024-सीमाशुल्क (सीवीडी) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[Placed in Library, See No. LT 2843/18/25]

(तेईस) सा.का.नि.304(अ) जो दिनांक 10 मई, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, तथा जिनका आशय वियतनाम में उद्धृत या वहां से निर्यातित "टेक्सचर्ड टेम्पर्ड कोटेड और अनकोटेड ग्लास" के आयात पर अधिसूचना की तारीख से 5 वर्ष की अवधि के लिए प्रतिकारी शुल्क लगाना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चौबीस) सा.का.नि.420(अ) जो दिनांक 26 जून, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, तथा जिनका आशय डीजीटीआर की सिफारिशों पर चीन जनवादी गणराज्य में उद्धृत या वहां से आयातित ?ऑटोमोटिव अनुप्रयोगों के लिए प्रभाव पिगमेंट को छोड़कर, प्रभाव पियरलेसेंट पिगमेंट या माइका पियरलेसेंट पिगमेंट? के आयात पर 5 वर्ष की अवधि के लिए प्रतिकारी शुल्क लगाना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पच्चीस) सा.का.नि.424(अ) जो दिनांक 27 जून, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, तथा जिनका आशय डीजीटीआर द्वारा जारी अंतिम निष्कर्षों के अनुसरण में, चीन जनवादी गणराज्य और ताइवान में उद्धृत या वहां से निर्यातित "डिजिटल ऑफसेट प्रिंटिंग प्लेट्स" के आयात पर 5 वर्ष की अवधि के लिए प्रतिकारी शुल्क लगाना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छब्बीस) सा.का.नि.441(अ) जो दिनांक 03 जुलाई, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, तथा जिनका आशय डीजीटीआर द्वारा जारी अंतिम निष्कर्षों के अनुसरण में इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड और वियतनाम में उद्धृत या वहां से निर्यातित "कंटीन्यूअस कास्ट कॉपर वायर रॉड्स"

के आयात पर 5 वर्ष की अतिरिक्त अवधि के लिए प्रतिकारी शुल्क लगाना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सत्ताईस) सा.का.नि.458(अ) जो दिनांक 10 जुलाई, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, तथा जिनके द्वारा दिनांक 11 नवंबर, 2020 की अधिसूचना संख्या 37/2020-सीमाशुल्क (एडीडी) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[Placed in Library, See No. LT 2844/18/25]

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी शोभा कारान्दलाजे) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूँ :-

- (1) (एक) वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नोएडा के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नोएडा के वर्ष 2023-2024 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 2845/18/25]

- (3) (एक) दत्तोपंत ठेंगड़ी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड (पूर्ववर्ती केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड), नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) दत्तोपंत ठेंगड़ी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड (पूर्ववर्ती केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड), नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 2846/18/25]

(5) औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 40 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) का.आ.1699(अ) जो दिनांक 11 अप्रैल, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के प्रयोजनों के लिए लौह अयस्क खनन में लगे उद्योग की सेवाओं को 14 अप्रैल, 2025 से आगे छह महीने की अवधि के लिए सार्वजनिक उपयोगिता सेवा घोषित किया गया है।

(दो) का.आ.1924(अ) जो दिनांक 29 अप्रैल, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के प्रयोजनों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण (पी) लिमिटेड, मैसूर (कर्नाटक) सालबोनी (पश्चिम बंगाल) में लगी सेवाओं को 6 मई, 2025 से आगे छह महीने की अवधि के लिए सार्वजनिक उपयोगिता सेवा घोषित किया गया है।

(तीन) का.आ.2118(अ) जो दिनांक 9 मई, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के प्रयोजनों के लिए ईंधन गैसों (कोयला गैस, प्राकृतिक गैस और इसी प्रकार की अन्य) के प्रसंस्करण या उत्पादन या वितरण में लगी सेवाओं को इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से छह महीने की अवधि के लिए सार्वजनिक उपयोगिता सेवा घोषित किया गया है।

(चार) का.आ.2241(अ) जो दिनांक 20 मई, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के प्रयोजनों के लिए यूरेनियम उद्योग में लगे उद्योगों की सेवाओं को 20 जून, 2025 से आगे छह महीने की अवधि के लिए सार्वजनिक उपयोगिता सेवा घोषित किया गया है।

(पांच) का.आ.2518(अ) जो दिनांक 9 जून, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947

के प्रयोजनों के लिए तांबा खनन उद्योग में लगे उद्योगों की सेवाओं को राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छह महीने की अवधि के लिए सार्वजनिक उपयोगिता सेवा घोषित किया गया है।

[Placed in Library, See No. LT 2847/18/25]

- (छह) का.आ.2519(अ) जो दिनांक 9 जून, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के प्रयोजनों के लिए बैंकिंग उद्योग में लगी सेवाओं को 15 जून, 2025 से आगे छह महीने की अवधि के लिए सार्वजनिक उपयोगिता सेवा घोषित किया गया है।
- (सात) का.आ.2520(अ) जो दिनांक 9 जून, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के प्रयोजनों के लिए रक्षा प्रतिष्ठानों के उद्योग में लगी सेवाओं को 24 जून, 2025 से आगे छह महीने की अवधि के लिए सार्वजनिक उपयोगिता सेवा घोषित किया गया है।
- (आठ) का.आ.2714(अ) जो दिनांक 17 जून, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के प्रयोजनों के लिए कोयला उद्योग में लगे उद्योगों की सेवाओं को 28 जून, 2025 से आगे छह महीने की अवधि के लिए सार्वजनिक उपयोगिता सेवा घोषित किया गया है।
- (नौ) का.आ.2715(अ) जो दिनांक 17 जून, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के प्रयोजनों के लिए सीसा और जस्ता खनन उद्योग में लगी सेवाओं को राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छह महीने की अवधि के लिए सार्वजनिक उपयोगिता सेवा घोषित किया गया है।
- (दस) का.आ.2717(अ) जो दिनांक 17 जून, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के प्रयोजनों के लिए परमाणु ईंधन और घटकों, भारी जल और संबद्ध रसायनों और परमाणु ऊर्जा का विनिर्माण या उत्पादन करने वाले औद्योगिक प्रतिष्ठानों में लगे उद्योग की सेवाओं को 28 जून, 2025 से

आगे छह महीने की अवधि के लिए सार्वजनिक उपयोगिता सेवा घोषित किया गया है ।

(ग्यारह) का.आ.2953(अ) जो दिनांक 1 जुलाई, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के प्रयोजनों के लिए खाद्य पदार्थों में लगे उद्योगों की सेवाओं को राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छह महीने की अवधि के लिए सार्वजनिक उपयोगिता सेवा घोषित किया गया है ।

[Placed in Library, See No. LT 2848/18/25]

? (व्यवधान)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF YOUTH AFFAIRS AND SPORTS (SHRIMATI RAKSHA NIKHIL KHADSE): I rise to lay on the Table:-

- (1)
 - (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Rajiv Gandhi National Institute of Youth Development, Sriperumbudur, for the year 2022-2023, alongwith Audited Accounts.
 - (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Rajiv Gandhi National Institute of Youth Development, Sriperumbudur, for the year 2022-2023.
- (2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

[Placed in Library, See No. LT 2849/18/25]

- (3)
 - (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Sports Development Fund, New Delhi, for the year 2022-2023, alongwith Audited Accounts.
 - (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Sports Development Fund, New Delhi, for the year 2022-2023.

- (4) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (3) above.

[Placed in Library, See No. LT 2850/18/25]

- (5) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Dope Testing Laboratory, New Delhi, for the year 2023-2024, alongwith Audited Accounts.
- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Dope Testing Laboratory, New Delhi, for the year 2023-2024.
- (6) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (5) above.

[Placed in Library, See No. LT 2851/18/25]

- (7) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Anti Doping Agency, New Delhi, for the year 2023-2024, alongwith Audited Accounts.
- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Anti Doping Agency, New Delhi, for the year 2023-2024.
- (8) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (7) above.

[Placed in Library, See No. LT 2852/18/25]

? (*Interruptions*)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EDUCATION; AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF DEVELOPMENT OF NORTH EASTERN REGION (SHRI SUKANTA MAJUMDAR): I

rise to lay on the Table:-

- (1) A copy of the University Grants Commission (Recognition and Grant of Equivalence to Qualifications obtained from Foreign Educational Institutions) Regulations, 2025 (Hindi and English versions)

published in Notification No. F.No.1-9/2023(Equivalence) in Gazette of India dated 4th April, 2025 under Section 28 of the University Grants Commission Act, 1956.

[Placed in Library, See No. LT 2853/18/25]

- (2) A copy of the Council of Architecture (Minimum Standards of Architectural Education) (Amendment) Regulations, 2025 (Hindi and English versions) published in Notification No. F.No.CA/498/ 2025/ MSAE(Regulations) in Gazette of India dated 9th June, 2025 under sub-section (3) of Section 45 of the Architects Act, 1972.

[Placed in Library, See No. LT 2854/18/25]

- (3) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Central Institute of Technology, Kokrajhar, for the year 2023-2024, alongwith Audited Accounts.
- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Central Institute of Technology, Kokrajhar, for the year 2023-2024.
- (4) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (3) above.

[Placed in Library, See No. LT 2855/18/25]

- (5) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the University Grants Commission, New Delhi, for the year 2023-2024.
- (ii) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the University Grants Commission, New

Delhi, for the year 2023-2024, together with Audit Report thereon.

- (iii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the University Grants Commission, New Delhi, for the year 2023-2024.

- (6) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (5) above.

[Placed in Library, See No. LT 2856/18/25]

- (7) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Institute of Technology Agartala, Jirania, for the year 2023-2024, alongwith Audited Accounts.

- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Institute of Technology Agartala, Jirania, for the year 2023-2024.

- (8) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (7) above.

[Placed in Library, See No. LT 2857/18/25]

- (9) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Institute of Technology Kurukshetra, Kurukshetra, for the year 2023-2024, alongwith Audited Accounts.

- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Institute of Technology Kurukshetra, Kurukshetra, for the year 2023-2024.

- (10) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (9) above.

[Placed in Library, See No. LT 2858/18/25]

- (11) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Institute of Technology Nagaland, Chumoukedima, for the year 2023-2024, alongwith Audited Accounts.
- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Institute of Technology Nagaland, Chumoukedima, for the year 2023-2024.

- (12) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (11) above.

[Placed in Library, See No. LT 2859/18/25]

- (13) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Institute of Technology Delhi, Delhi, for the year 2023-2024, alongwith Audited Accounts.
- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Institute of Technology Delhi, Delhi, for the year 2023-2024.

- (14) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (13) above.

[Placed in Library, See No. LT 2860/18/25]

- (15) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Mizoram University, Aizwal for the year 2023-2024, together with Audit Report thereon.

- (16) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (15) above.

[Placed in Library, See No. LT 2861/18/25]

- (17) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Mahatma Gandhi Central University, Motihari, East Champaran, for the year 2023-2024, together with Audit Report thereon.

- (18) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (17) above.

[Placed in Library, See No. LT 2862/18/25]

- (19) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Central University of Jammu, Samba, for the year 2023-2024.
- (ii) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Central University of Jammu, Samba, for the year 2023-2024, together with Audit Report thereon.
- (iii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Central University of Jammu, Samba, for the year 2023-2024.

- (20) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (19) above.

[Placed in Library, See No. LT 2863/18/25]

- (21) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Central University of Haryana, Mahendergarh, for the year 2023-2024.
- (ii) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Central University of Haryana, Mahendergarh, for the year 2023-2024, together with Audit Report thereon.
- (iii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Central University of Haryana, Mahendergarh, for the year 2023-2024.

- (22) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (21) above.

[Placed in Library, See No. LT 2864/18/25]

- (23) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Hemvati Nandan Bahuguna Garhwal University, Srinagar (Garhwal), for the year 2023-2024.
- (ii) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Hemvati Nandan Bahuguna Garhwal University, Srinagar (Garhwal), for the year 2023-2024, together with Audit Report thereon.
- (iii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Hemvati Nandan Bahuguna Garhwal University, Srinagar (Garhwal), for the year 2023-2024.

- (24) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (23) above.

[Placed in Library, See No. LT 2865/18/25]

- (25) (i) A copy each of the Annual Reports (Hindi and English versions) of the Manipur University, Canchipur, for the years 2022-2023 and 2023-2024.
- (ii) A copy each of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Manipur University, Canchipur for the years 2022-2023 and 2023-2024, together with Audit Reports thereon.
- (iii) A copy each of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Manipur University, Canchipur, for the year 2022-2023 and 2023-2024.
- (26) Two Statements (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (25) above.

[Placed in Library, See No. LT 2866/18/25]

- (27) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Manipur University, Canchipur, for the year 2021-2022.
- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Manipur University, Canchipur, for the year 2021-2022.

- (28) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (27) above.

[Placed in Library, See No. LT 2867/18/25]

- (29) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the University of Allahabad, Prayagraj, for the year 2023-2024, alongwith audited accounts.
- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the University of Allahabad, Prayagraj, for the year 2023-2024.

- (30) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (29) above.

[Placed in Library, See No. LT 2868/18/25]

- (31) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Nagaland University, Lumami, for the year 2023-2024.
- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Nagaland University, Lumami, for the year 2023-2024.

- (32) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (31) above.

[Placed in Library, See No. LT 2869/18/25]

- (33) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Central University of Himachal Pradesh, Dharamshala, for the year 2023-2024.
- (ii) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Central University of Himachal Pradesh, Dharamshala, for the year 2023-2024, together with Audit Report thereon.
- (iii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Central University of Himachal Pradesh, Dharamshala, for the year 2023-2024.

- (34) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (33) above.

[Placed in Library, See No. LT 2870/18/25]

- (35) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Tezpur University, Tezpur, for the year 2023-2024.
- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Tezpur University, Tezpur, for the year 2023-2024.

- (36) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (35) above.

[Placed in Library, See No. LT 2871/18/25]

- (37) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Central University of Kerala, Kasaragod, for the year 2023-2024.
- (ii) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Central University of Kerala, Kasaragod,

for the year 2023-2024, together with Audit Report thereon.

- (iii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Central University of Kerala, Kasaragod, for the year 2023-2024.

- (38) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (37) above.

[Placed in Library, See No. LT 2872/18/25]

- (39) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Tripura University, Suryamaninagar, for the year 2023-2024.

- (ii) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Central Tripura University, Suryamaninagar, for the year 2023-2024, together with Audit Report thereon.

- (iii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Tripura University, Suryamaninagar, for the year 2023-2024.

- (40) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (39) above.

[Placed in Library, See No. LT 2873/18/25]

- (41) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Dr. Harisingh Gour Vishwavidyalaya, Sagar, for the year 2023-2024, together with Audit Report thereon.

- (42) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (41) above.

[Placed in Library, See No. LT 2874/18/25]

- (43) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Indira Gandhi National Tribal University, Amarkantak, for the year 2023-2024, together with Audit Report thereon.
- (44) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (43) above.

[Placed in Library, See No. LT 2875/18/25]

- (45) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya, Wardha, for the year 2023-2024, together with Audit Report thereon.
- (46) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (45) above.

[Placed in Library, See No. LT 2876/18/25]

- (47) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Jamia Millia Islamia, New Delhi, for the year 2023-2024, together with Audit Report thereon.
- (48) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (47) above.

[Placed in Library, See No. LT 2877/18/25]

- (49)
 - (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Rajiv Gandhi University, Rono Hills, for the year 2023-2024.
 - (ii) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Rajiv Gandhi University, Rono Hills, for the year 2023-2024, together with Audit Report thereon.
 - (iii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Rajiv Gandhi University, Rono Hills, for the year 2023-2024.

(50) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (49) above.

[Placed in Library, See No. LT 2878/18/25]

- (51) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Motilal Nehru National Institute of Technology Allahabad, Prayagraj, for the year 2023-2024, alongwith audited accounts.
- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Motilal Nehru National Institute of Technology Allahabad, Prayagraj, for the year 2023-2024.

(52) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (51) above.

[Placed in Library, See No. LT 2879/18/25]

? (Interruptions)

-

12.03 hrs

At this stage, Adv. Chandra Shekhar, Shri Hanuman Beniwal, Shri Rajkumar Roat and some other hon. Members came and stood on the floor near

the Table.

कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री हर्ष मल्होत्रा) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :-

- (1) प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 की धारा 64 की उप-धारा (3) के अंतर्गत भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (उत्पादन लागत का निर्धारण) विनियम, 2025, जो 6 मई, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एफ.सं. सीसीआई/रेग-

सीओपी/01/2025-26 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 2880/18/25]

(2) चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 की धारा 30ख के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

- (एक) सा.का.नि. 238 (अ) जो दिनांक 17 अप्रैल, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा दिसम्बर 2024 में हुए भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान की परिषद के लिए निर्वाचन के मामले में चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 की धारा 10ख के अंतर्गत उत्पन्न विवादों का निर्णय करने के लिए, उसमें उल्लिखित व्यक्तियों को शामिल कर एक अधिकरण की स्थापना की गई है।
- (दो) सा.का.नि. 1775(अ) जो 17 अप्रैल, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा दिनांक 12 अप्रैल, 2019 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 1591(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (तीन) सा.का.नि. 432(अ) जो 30 अप्रैल, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा दिनांक 19 जनवरी, 2011 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 38(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (चार) सा.का.नि. 456(अ) जो 8 जुलाई, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा दिनांक 3 नवम्बर, 2015 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 835(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (पांच) अधिसूचना सं. एफ.सं. 21-सीएमए/2025, जो दिनांक 28 अप्रैल, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा सीएमए (डॉ.) हेमंत कुमार सिंधवानी, निदेशक को 27 मार्च, 2025 से इंस्टिट्यूट ऑफ कॉस्ट एकाउन्टेन्ट्स ऑफ इंडिया के निदेशक (अनुशासन) के रूप में पदाभिहित किया गया है।

[Placed in Library, See No. LT 2881/18/25]

- (3) लागत और संकर्म लेखापाल अधिनियम, 1959 की धारा 40 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (एक) सा.का.नि 235(अ) जो दिनांक 17 अप्रैल, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा दिनांक 15 अक्टूबर, 2015 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 787(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (दो) सा.का.नि 237(अ) जो दिनांक 17 अप्रैल, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा दिनांक 16 अक्टूबर, 2023 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 741(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (तीन) लागत और संकर्म लेखापाल (संशोधन) विनियम, 2025 जो दिनांक 25 अप्रैल, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. फा.सं.सीडब्ल्यूआर(1)/2025 में प्रकाशित हुए थे।

[Placed in Library, See No. LT 2882/18/25]

- (4) चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 की धारा 30ख; कंपनी सचिव अधिनियम, 1980 की धारा 40 तथा लागत और संकर्म लेखापाल अधिनियम, 1959 की धारा 40 के अंतर्गत अधिसूचना सं. सा.का.नि. 433(अ), जो दिनांक 30 जून, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी, तथा जिसके द्वारा दिनांक 4 नवम्बर, 2015 की अधिसूचना सं. सा.का.नि.835(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 2883/18/25]

- (5) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 469 की उपधारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (एक) कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) संशोधन नियम, 2025 जो दिनांक 7 मई, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 291(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (दो) कंपनी (लेखा) संशोधन नियम, 2025 जो दिनांक 19 मई, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 317(अ) में प्रकाशित हुए थे।

- (तीन) कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) संशोधन नियम, 2025 जो दिनांक 30 मई, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 358(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (चार) कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) संशोधन नियम, 2025 जो दिनांक 30 मई, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 359(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (पांच) कंपनी (लागत अभिलेख और लेखापरीक्षा) संशोधन नियम, 2025 जो दिनांक 30 मई, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 361(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (छह) कंपनी (पंजीकरण कार्यालय और शुल्क) संशोधन नियम, 2025 जो दिनांक 30 मई, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 360(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (सात) कंपनी (दस्तावेजों और प्रारूपों की प्रसारणीय कारबार रिपोर्ट भाषा फाइल करना) संशोधन नियम, 2025 जो दिनांक 6 जून, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 371(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (आठ) कंपनी (स्तरों की संख्या पर निर्बंधन) संशोधन नियम, 2025 जो दिनांक 27 जून, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 427(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (नौ) कंपनी (अधिनिगमन) संशोधन नियम, 2025 जो दिनांक 27 जून, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 426(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (दस) कंपनी (अनुज्ञेय अधिकारिताओं में साधारण शेयर सूचीबद्ध करना) संशोधन नियम, 2025 जो दिनांक 3 जुलाई, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 443(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (ग्यारह) कंपनी (लेखा) दूसरा संशोधन नियम, 2025 जो दिनांक 30 मई, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 357(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(बारह) कंपनी (कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) संशोधन नियम,
2025 जो दिनांक 7 जुलाई, 2025 के भारत के राजपत्र में
अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 452(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[Placed in Library, See No. LT 2884/18/25]

? (व्यवधान)

12.04 hrs

At this stage, Shri Rajmohan Unnithan and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.

12.04 hrs